-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 28.04.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना गिरवां पुलिस द्वारा कूपन के माध्यम से इनाम का लालच देकर ठगी करने वाले अभियुक्त को सूचना के 02 घण्टे के भीतर अवैध तमंचा के साथ किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व 5500 रुपये बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध तथा अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गिरवां पुलिस द्वारा कूपन के माध्यम से इनाम का लालच देकर ठगी करने वाले अभियुक्त को सूचना के 02 घण्टे के भीतर अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि आज दिनांक 28.04.2025 को थाना गिरवां क्षेत्र की रहने वाली सुमन पत्नी विक्रम रैदास ने थाना गिरवां पर सूचना दी कि कल दिनांक 27.04.2025 की सुबह एक अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल नम्बर- UP90AA0807 से कोट-पैंट के कपड़े लेकर उनके घर आया और बताया कि मै एक कम्पनी की तरफ से आया हूं और कम्पनी तीन दिन का ऑफर दे रही है जिसमें आपको 5500 रुपये का एक कूपन खरीदना होगा और उसमें मोटरसाइकिल, साइकिल, फ्रिज, टी0वी0 कोट-पैंट का कपड़ा आदि इनाम में निकलेगा। महिला द्वारा मना करने पर व्यक्ति द्वारा उसे पैसे का लालच देकर अपनी बातों में फंसाकर 5500 रुपये लेकर एक कूपन दिया जिसमें एक मोटरसाइकिल इनाम में निकला लेकिन उस व्यक्ति द्वारा झांसा देकर सिर्फ कोट-पैंट का कूपन दिखाया और कोट-पैंट का कपड़ा देकर चला गया। सूचना पर तत्काल थाना गिरवां पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की पहचान व गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम पुलिस द्वारा थाना गिरवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सेमरिया जदीद के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त को सूचना के 02 घण्टे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह गांव-गांव घूमकर मोटरसाइकिल से फेरी करते है तथा लोगों को बताते है कि 5500 रुपये का कूपन खरीदो उसमें मोटरसाइकिल, फ्रिज, टी0वी0, साइकिल, कोट-पैंट आदि का इनाम निकलेगा लेकिन कूपन सिर्फ कोट-पैंट का ही छपवाते है जिसकी कीमत सिर्फ 400-500 रुपये तक होती है। इस तरफ एक ग्राहक फंसाने पर उन्हे 05 हजार रुपये तक का फायदा होता है।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 मोटरसाइकिल UP90AA0807
- 5500 रुपये व 01 पीस पैंट-शर्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बबलू कुचबधिया पुत्र बबुआ निवासी कुचबधिया डेरा ग्राम खम्हौरा थाना अतर्रा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग –

- मु0अं0सं0 110/25 धारा 316(2)/317(2) बीएनएस थाना गिरवां जनपद बांदा।
- मु0अं0सं0 111/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गिरवां जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री यज्ञनारायण भार्गव
2. कां0 कृष्णकान्त
3. कां0 संजय कुमार